SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन

कु. अनेन्या, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
कु. अनेन्या, शोधार्थी
E-mail : singhbhu.pradeep@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 23/09/2024
Revised on : 23/11/2024
Accepted on : 03/12/2024
Overall Similarity : 01% on 25/11/2024

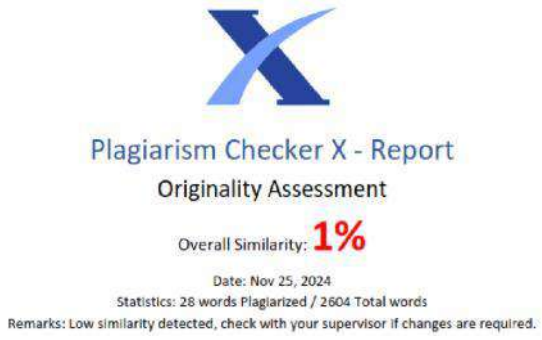

शोध सार

इस शोध पत्र का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है, अतः इस शोध पत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के शहाबगंज ब्लॉक को अपने डाटा संग्रहण हेतु चयन किया गया है। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। नक्सलवाद ने सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रभावित किया है,जो नक्सलवादियो के हाथों का शिकार तो बने ही, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के भी हाथों का शिकार बने । कभी नक्सलवादियों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, ज़बरदस्ती उनको अपने समूह में शामिल होने के लिए विवश किया गया तो कभी उनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा भी उनके ऊपर नक्सलवादी होने का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा चलाना, उनको जेलों में डाल देना, तो कभी फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। जब इन क्षेत्रों की तरफ सरकार का ध्यान गया तो सरकार के द्वारा बहुत सारे विकासात्मक कार्य संपन्न किए गए,लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उन इलाकों में आदिवासियों की जीवन में कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। कई वर्षों के अथक प्रयास के बावजूद आज भी वह इलाका मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया है। उन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी अपनी अभावग्रस्त जिंदगी जीने के लिए विवश है। उन लोगों के पास न तो अपनी संपत्ति है और न हीं अपना मकान है। सरकारी टूटी–फूटी भवनो पर कब्जा करके, तहसील की जमीन पर झोपड़ी लगाकर तो कहीं जंगल के जमीन पर झोपड़ी लगाकर अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर है।

मुख्य शब्द

आदिवासी, समुदाय, नक्सलवाद, सामाजिक, परिसंपत्ति, शिक्षा.

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का मूल्य उसके अर्जित समृद्धि या परिसंपत्तियों से निर्धारित नहीं होता बल्कि उन लोगों से होता है, जो उसमें रह रहे हैं। कोई राष्ट्र धनवान हो सकता है लेकिन वास्तविक धन से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस धन को अर्जित करने में लोगों का सामूहिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता का कितना योगदान रहा है। क्या उस राष्ट्र के सभी लोगों का विकास हुआ है या नहीं। जब तक किसी देश के लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान ना हो तब तक वह राष्ट्र कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि मानव जीवन की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक उद्देश्य से व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व मूल रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास,विचारधाराओं तथा मूल्य को निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यक सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षित हिस्से के साथ आर्थिक न्याय, सक्रिय भागीदारी प्रदान करना। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान दर्जा और अवसर की गारंटी देता है, लेकिन स्वतंत्रता के 6–7 दशक के बाद भी आज भी भारत में कई ऐसे घर है जिन्हे एक वक्त के भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी वनवासी का अपना कोई जमीन नहीं है जहां वह घर बनाकर रह सके वह तहसील के बंजर जमीन,वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके वहां पर अपना गुजर बसर करते हैं। कोई पुरानी बर्बर सरकारी आवास में रह रहा है, तो कोई झोपड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करने के लिए विवश है। वहां न तो पीने की शुद्ध पानी की व्यवस्था है, और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं का। आदिवासी अपना जीवन–यापन करने के लिए जंगलों से लकड़ी काटने,खेतों में मजदूरी करने का कार्य करते है। उनमे केवल तीन–चार व्यक्ति ही ऐसी मिले जो ई–रिक्शा चलाने का कार्य भी करते है।

आदिवासियों ने बातचीत के दौरान यह बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिंचाई के लिए पंप कैनाल की व्यवस्था की गई है जो बड़े लोगों के खेतों में सिंचाई का काम करते हैं लेकिन मजदूरों को सिंचाई में असुविधा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि मनरेगा में हम कार्य तो करते हैं लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के पैसे में भी कटौती कर दी जाती है। कुछ महिलाओं ने साक्षात्कार के दौरान यह बताया कि यहां पर 6 महिलाओं का समूह बना हुआ है जिसका ऑफिस शहाबगंज में है लेकिन कभी भी इसके द्वारा मदद नहीं की जाती है केवल कागज पर नाम लिखा गया है।

आदिवासियों में नशा की आदत बहुत बुरी है छोटे बच्चों से लेकर युवा तक गाजा ,शराब, गुटका आदि का सेवन करते हैं। आदिवासी बाहर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, वह गांव में ही अपना मजदूरी का कार्य करते हैं।गांव में ऐसा कोई उद्योग या व्यापार नहीं है जिसमें वह नौकरी कर सके, और उनका जो परंपरागत पत्तल बनाने का कार्य था वह भी फाइबर के पत्तल आने के बाद बंद हो गया।

साहित्य सर्वेक्षण

किसी भी समस्या पर शोध करने से पूर्व उस विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन करना अति आवश्यक होता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित कुछ पुस्तक इस प्रकार है:

शुक्ल, हीरालाल (1887) ने अपने अध्ययन आदिवासी और नक्सलवाद के अंतर्गत नक्सलवाद के इतिहास का विवरण करते हुए बताया कि जहां नक्सलवादी क्रांतिकारी सरकार की दृष्टि में आतंकवादी हैं वही वह जनजातीय लोगों के लिए मसीहा बनकर अवतरित हुए हैं। नक्सली विद्रोह एक जमीनी विद्रोह है जो मानव के आधारभूत आवश्यकताओं के ना मिल पाने का परिणाम है। यह लघु अवधि के लाभ पर आधारित न होकर संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करता है।

गुप्ता, रमणिका (2008) ने अपने लेख आदिवासी कौन में बताया है कि किस तरह आदिवासी अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। इन्होने जनजातियों के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी लोगों के सामने लाने का प्रयत्न किया। उनकी दशा में परिवर्तन कैसे हो,उनकी शिक्षाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान किया जाए पर सवाल उठाया है।

देवी, महाश्वेता (2011) ने अपने लेख बस्तर के माओवादी व आदिवासी में बताया है कि आदिवासियों का हर कदम पर शोषण हो रहा है। उनके जीवन के हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हर कदम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर अधिकारियों के द्वारा भी उनका शोषण किया जाता है।

गुप्ता, रमणिका (2001) ने अपने लेख आदिवासी विकास से विस्थापन में यह बताया है कि 21वीं सदी में पहुंचकर भी हमारे देश के आदिवासी समाज जहां विकास की राह जोह रहे हैं, वह दूसरी तरफ सरकार की उदासीन नीतियों के कारण उनका स्थिति भी ज्यो का त्यों है। जनजातियों का पलायन और विस्थापन सदियों से होता रहा है और यह आज भी जारी है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के शहाबगंज ब्लॉक के वनभीषमपुर, ताला गांव में रह रहे वनवासियों पर किया गया है। इस ग्राम सभा में कुल 300 आदिवासी परिवार, 48 यादव परिवार 25 हरिजन परिवार तथा मुसलमान, भाट कोहार के 3–4 परिवार आदि निवास करते है। वनभीषमपुर ग्रामसभा में कुल 3000 जनसंख्या है जिसमे से 2000 मतदाता है। इसके पूरब में ढोढनपुर व छित्तमपुर गांव है, उत्तर में वनभीषमपुर नाल है, दक्षिण व पश्चिम में कर्मनाशा नदी तथा झंडी पर नामक पहाड़ से घिरा हुआ है। यह बिहार राज्य के बॉर्डर से लगा हुआ गांव है। चकिया तहसील शहाबगंज ब्लॉक का एक अति पिछड़ा क्षेत्र है जहां कभी नक्सलियों की छाया हुआ करती थी यहां से नक्सलवाद का अंत हो चुका है लेकिन बिहार बॉर्डर से लगे होने के कारण इस क्षेत्र की स्थिति आज भी नाजुक है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ा संग्रहित विधि में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित किया गया है। गांव में निवास करने वाले 300 आदिवासी परिवार में से 67 आदिवासियों से स्वतंत्र वार्तालाप के पश्चात् जो आंकड़ा उपलब्ध हुआ उसे अध्ययन की प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन तथ्यगत करने का प्रयास किया गया है। द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न लेख, पुस्तक और समाचार पत्र का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को अग्रलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है:

शिक्षा

आज के आधुनिक समाज में व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति उसकी व्यावसायिक सहभागिता को सुनिश्चित करता है। शिक्षा व्यक्ति के कार्य– कुशलता एवं कार्य संपादन की स्थिति निर्धारण करता है। तालिका 01 के अंतर्गत आदिवासियों की शैक्षणिक स्तर संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है

तालिका 01: आदिवासियों में शैक्षणिक स्थिति संबंधित जानकारी

शैक्षणिक स्तर	**आवत्ति**	**प्रतिशत**
5 वीं तक	7	10.45
जूनियर हाईस्कूल	4	05.97
हाईस्कूल	———	———
साक्षर	12	17.91
निरक्षर	44	65.67
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका 01 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आदिवासी उत्तरदाताओं में 10.45 प्रतिशत लोग पांचवी कक्षा तक पढ़े हैं, 5.97 प्रतिशत लोग जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। 17.91 प्रतिशत लोगों को केवल अक्षर ज्ञान है तथा अभी भी 65.67 प्रतिशत आदिवासी निरक्षर है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकांश 65.67 प्रतिशत आदिवासी निरक्षर है।

आवास

हर मनुष्य को शांतिपूर्वक,मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत करने के लिए एक आवास की आवश्यकता होती है जो वर्षा, धूप, ठंड, आंधी, तूफान से हमारी सुरक्षा करता है, आकस्मिक घटनाओं, जंगली जानवरों से व्यक्ति को सुरक्षित रखता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। तालिका 02 के अंतर्गत आदिवासियों की आवास संबंधित जानकारी प्रदान की गई है:

तालिका 02: आदिवासियों की आवास की स्थिति

आवास की प्रकृति	**आवत्ति**	**प्रतिशत**
कच्चा	20	29.85
पक्का	07	10.45
कच्चा– पक्का	15	22.38
झोपड़ी	25	37.31
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोत: प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 29.85 प्रतिशत आदिवासी कच्चे मकान में निवास करते हैं, मात्र 10.45 प्रतिशत आदिवासियों के पास पक्का मकान है, 22.38 प्रतिशत आदिवासी का घर कच्चा व पक्का दोनों मिश्रित है और अधिकांश 37.31 प्रतिशत जनजाति लोग झोपड़पट्टीयों निवास करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी आदिवासी के पास स्वयं की भूमि नहीं है।

व्यवसाय

व्यवसाय व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। परंपरागत भारतीय समाज में जाति और व्यवसाय का घनिष्ठ संबंध रहा है लेकिन औद्योगीकरण के कारण लोगों की अपनी परंपरागत जो व्यवसाय थे वह समाप्त होते चले गए या तो व्यक्ति मजदूर बन गया या बाहर कंपनियों नौकरी करने के लिए विवश हो गया। तालिका 03 में आदिवासियों जीविकोपार्जन के साधन का उल्लेख किया गया है:

तालिका 03: आदिवासियों का जीविकोपार्जन के साधन के संबंध में जानकारी

जीविकोपार्जन के साधन	आवत्ति	प्रतिशत
मजदूरी	55	82.08
व्यापार	————	————
सरकारी नौकरी	04	05.97
अन्य	08	11.94
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 82.08 प्रतिशत आदिवासियो का जीविकोपार्जन का साधन मजदूरी है, मात्र 5.97 प्रतिशत आदिवासी छोटी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं 11.94 प्रतिशत अन्य कार्यो में लगे हुए हैं।

पारिवारिक मासिक आय

आय व्यक्ति विशेष के सामाजिक आर्थिक स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। आय के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं पर विशेष अधिकार एवं स्वामित्व प्राप्त करता है। यह व्यक्ति का जीवन स्तर वह सुख सुविधाओं को निर्धारित करता है। तालिका 04 के अंतर्गत आदिवासियों का मासिक आय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है:

तालिका 04: आदिवासियों का मासिक आय के संबंध में

मासिक आय (रुपयों में)	आवत्ति	प्रतिशत
2000 तक	43	64.17
2001से 5000	19	28.35
5001से 10000	05	07.46
10000 से ऊपर	————	————
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट है 64.17 प्रतिशत आदिवासियों की मासिक आय 2000ध से कम है, 28. 35 प्रतिशत आदिवासियों की मासिक आय 2000/— से 5000/— के बीच में है मात्र 7.46 प्रतिशत आदिवासियों की मासिक 5000/— से 10000/— के बीच में है। आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी आदिवासी किया है 10000/— से ऊपर नहीं है।

तालिका 05: विवाह के समय लडके /लड़की की आयु के सम्बन्ध में आदिवासियों के विचार

विवाह की आयु	आवत्ति	प्रतिशत
15 वर्ष से कम	17	25.37
15 से 18 वर्ष	39	58.20
18 से 21 वर्ष	11	16.41
21 वर्ष से ऊपर	———	———
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 25.37 प्रतिशत आदिवासी 15 वर्ष से कम उम्र में लड़के/लड़कियों की विवाह करना उचित मानते हैं, अधिकांश 58.20प्रतिशत आदिवासी 15 से 18 वर्ष विवाह का उचित समय मानते हैं तथा केवल 16.41 प्रतिशत ही आदिवासी 18 से 21 वर्ष विवाह का सही समय मानते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अभी भी आदिवासियों में बाल विवाह की प्रथा का अंत नहीं हुआ है।

तालिका 06: आर्थिक परिस्थितिया ऋणग्रस्तता संबंधी आदिवासियों के विचार

ऋणग्रस्तता	आवत्ति	प्रतिशत
हां	53	79.10
नहीं	14	20.89
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका 06 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 79.10 प्रतिशत आदिवासी ऋणग्रस्तता के स्थिति में है, केवल 20.79 प्रतिशत आदिवासी अपना जीवन गुजर बसर करने में सक्षम है।

तालिका 07: आदिवासियों नशा की आदत संबंधी जानकारी

नशा की आदत	आवत्ति	प्रतिशत
हाँ	67	100
नहीं	———	———
योग	67	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपर्युक्त तालिका 07 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 100 प्रतिशत आदिवासियों में नशे की आदत है। शराब, गांजा,गुटखा, सिगरेट, सुर्ती आदि के नशा से ग्रसित है। छोटे बच्चे, महिलाये भी नशा करती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां समाज दिन प्रतिदिन नई–नई ऊंचाइयों को छू रहा है वही आदिवासियों का जीवन उसी किचन में पड़ा हुआ है जहां वह 7–8 दशक पहले थे। सरकार द्वारा लाये गए कानूनी प्रावधानों से तो वह मजबूत हो गए लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी अधिकांश आदिवासी निरक्षर है। गांव में प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद भी उनमे शिक्षा के प्रति कोई रूचि नहीं है। आदिवासियों के अधिकांश परिवार झोपदापट्टीयों में, जर्जर पड़ी सरकारी भवनो में निवास करते है। अभी भी पढ़ने की उम्र में ही लड़कों एवं लड़कियों विवाह कर दिया जाता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। आदिवासियों के बच्चे छोटी उम्र में ही मजदूरी कर अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर है।

सुझाव

1. आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।

2. सरकारी योजनाओं को उनकी भाषा में बताने की आवश्यकता है ताकि उनका समुचित लाभ आदिवासियों को मिल सके।
3. सरकार के द्वारा उनके लिए एक निश्चित आवास की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा आदिवासियों को जहां वह रहे हैं उसी भूमि को उनका स्थायी निवास स्थान बनाना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी उनको कोई वहां से हटा ना सके।
4. आदिवासी समुदाय के लोगों में से ही कुछ ऐसे लोगों का चयन करने की आवश्यकता है जो उनके बीच में रहते हुए उनके अंदर जागरूकता पैदा करें और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें।
5. आदिवासियों का जो पारंपरिक रोजगार का साधन है उसे संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
6. सस्ती ब्याज दर पर उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
7. इस क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल, इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज नहीं है, उन क्षेत्रों में नए स्कूल, कॉलेज की स्थापना करने की आवश्यकता है।
8. बाल विवाह निषेध कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. दीक्षित, ब्रम्हदेव (1964) *भारत के आदिवासी,* जनता प्रेस, आगरा।
2. जैन, श्री चंद्र (1980) *आदिवासियों के बीच,* किताबघर, दिल्ली।
3. सिंह, अमर बहादुर (2017) *नक्सल समस्या और भारत,* मनीष प्रकाशन, बी. एच. यू., वाराणसी।
4. गुप्ता, रमणिका (2014) *आदिवासी साहित्य माला,* राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. हसनैन, नदीम (2003), *जनजाति भारत,* जवाहर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

****